UPHP010049202026

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश द्वितीय, हापुड़।
उपस्थितः शेष बहादुर निषाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1439/2026

1. श्रीमती निधि राणा पुत्री गुलाब सिंह
2. अमित राणा पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह
निवासीगण-रजनी विहार पिलखुवा, थाना-पिलखुवा, जिला-हापुड़।

------प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र० सरकार।

------विपक्षी।

वाद सं०–106/2017
मुकदमा अपराध सं०–334/2016
अन्तर्गत धारा–323, 325, 427, 452, 506 भा०दं०सं०, 1860
थाना–पिलखुवा, जिला–हापुड़।

उपस्थिति–

अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सोनू सिंह उपस्थित।
राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री विजय कुमार चौहान उपस्थित।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र

दिनांक–22.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/आवेदकगण **श्रीमती निधि राणा पुत्री गुलाब सिंह व श्री कृष्णपाल सिंह निवासी रजनी विहार** की ओर से मुकदमा अपराध सं०–334/2016, अन्तर्गत धारा–323, 325, 427, 452, 506 भा०दं०सं०, 1860 थाना–पिलखुवा, जिला–हापुड़ में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।

2. प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र मय शपथपत्र में इस आशय का कथन किया गया है कि उपरोक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्तगण को साजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण बिलकुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है। उक्त मुकदमा 3 दिन की देरी से पंजीकृत कराया गया है तथा देरी का कोई भी कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे अकिंत नही किया गया हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई जनता का स्वतंन्त्र व निष्पक्ष साक्षी नही है। प्रार्थी/अभियुक्तगण को पुलिस ने शातिर दिमाग व्यक्तियों की शह पर आपस मे साज बाज करके झूठा फंसा दिया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण उपरोक्त मुकदमे में धारा 41 ए के नोटिस पर रिहा है तथा उन्होंने विवेचना मे पूर्ण सहयोग प्रदान किया है एवं दौरान विवेचना अपना निवास स्थान नही बदला है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा की पुत्री मधु के साथ कोई छेड़छाड़ या मारपीट नही की है, बल्कि वास्तविकता यह है कि वादी मुकदमा व अभियुक्तगण के मध्य पूर्व से ही

वाद विवाद चला आ रहा था तथा दोनों के मध्य पूर्व से ही मुकदमेंबाजी चल रही थी। उक्त घटना से पूर्व अभियुक्तगण की जानिब से वादी मुकदमा व उसके परिजनो के विरूद्ध मु०अ०सं०–0094 सन 2016 अं०धारा 323, 452, 149, 148, 147 आई.पी.सी. थाना पिलखुवा पर पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमा दिनांक–25.02.2016 को पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमे की कार्यवाही से बचने के लिये वादी मुकदमा ने फर्जी कहानी बनाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है एवं न ही वह किसी अपराधिक मामले में सजायाफता हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण अग्रिम जमानत मिलने पर जमानत का कोई दुरूपयोग नही करेंगे तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेंगे तथा जब भी माननीय न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्तगण को तलब करेगी तो प्रार्थी/अभियुक्तगण समय से माननीय न्यायालय मे उपस्थित रहेगा। उपरोक्त केस मे जनता का कोई चश्मदीद साक्षी नही है जिसने आरोपित अपराध कारित होते हुये देखा हो। प्रार्थी/अभियुक्तगण पर उपरोक्त केस प्रेमाफैसाई मेडआउट नही होता है। आरोपित अपराध की घटना जिस जगह की बतायी गयी है वह घनी आबादी का क्षेत्र है परन्तु फिर भी कोई जनता का चश्मदीद साक्षी प्रथम सूचना रिर्पोट मे नही दर्शाया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का आरोपित घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नही है न ही प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित की गयी है। प्रार्थी/अभियुक्तगण उक्त केस का विचारण करने को तैयार है जबकि पुलिस जबरदस्ती प्रार्थी/अभियुक्तगण को गिरफ्तार करके अनावश्यक रूप से प्रार्थी/अभियुक्तगण का उत्पीड़न करना चाहती है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोड़कर भागने व गवाहान सबूत तोड़ने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की सन्तुष्टि के लिये अपनी उचित अग्रिम जमानत देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

3. संक्षेप में, अभियोजन के कथानक प्रथम सूचना रिपोर्ट आख्या के अनुसार इस प्रकार हैं कि–

"मैं प्रार्थी कुंवरपाल सिहं पुत्र श्री लाल सिहं निवासी रजनी विहार पिलखुवा जिला हापुड़ का रहने वाला हूं। आज दिनांक 10/06/2016 समय करीब 2.43 दोपहर को जब मैं अपने कमरे में बैठा था तभी घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मेरी लड़की मधु द्वारा बाहर दरवाजे देखे जाने पर मधु की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मधु की आवाज सुनकर मैं अपने कमरे से बाहर की तरफ भागा तो मैंने देखा कि अमित राणा, सुमित राणा पुत्रगण कृष्णपाल सिह निवासी रजनी विहार पिलखुवा व अपने साथी नीतिन शर्मा व दो तीन आज्ञात आदमियों के साथ मेरी लड़की मधु को जबरन खींचकर अपने साथ ले जा रहे थे और मेरी लडकी चिल्ला रही थी अमित राणा मेरी लड़की से चिल्लाते हुए कह रहा था कि मेरे मना करने के बाद भी तूने FIR दर्ज कराई है (मु०अ०–सं०–84/2016) अब मैं जेल से बाहर आ गया हूं आज मैं देखता हूं तुझे कौन बचाता है। मेरे द्वारा अपनी लड़की मधु को विपक्षीयो के चंगुल से बचाने व उसे जबरन ले जाने से रोकने पर विपक्षीगण ने मधु को छोड़कर मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया जिस हमले में विपक्षीगण के सभी परिवार वाले भी शामिल हो गए, जिसमे कि अमित राण, सुमित राणा, नेमा, ममता, नीधी, नीरज, राजवीर सिह (सुमित का ससुर), नितिन व रेनू शर्मा इस हमले में मुझ प्रार्थी को दोनो हाथों की उँगलिया विपक्षी–गण के लाठी डण्डों के वार से बचने के प्रयास मे टूट गई व मेरी कमर, कन्धे व सिर पर काफी चोटे आयी हैं। विपक्षी ने हमला करने से पहले छत के जीने का दरवाजा ऊपर से बन्द करके घर मे लगे दो सी.सी.टी.वी. कैमरे उखाड़कर ले गए ताकि घटना कैमरों मे ना आ सके मेरी लडकी मधु को भी विपक्षियो द्वारा हुई मारपीट से गम्भीर चोटे आयी हैं। विपक्षी अमित राणा पहले भी मेरी लड़की के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दे चुका है जिस घटना के बाबत मेरी लड़की मधु द्वारा थाना पिलखुवा में विपक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिस मुकदमे में माननीय न्यायलय से

जमानत मिलने के बाद से ही विपक्षी अमित मेरी लडकी मधु को लगातार धमकियां दे रहा था कि वह मौका मिलते ही परिवार के सदस्यों को जान से मार देगा व मधु को जबरन अगवा करके ले जाएगा। आज मौका मिलते ही अमित ने अपने भाई व बदमाश साथियो की सहायता से उक्त घटना को अंजाम दिया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट करते हुए विपक्षी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करें व प्रार्थी व उसकी लड़की को उपरोक्त घटना मे आई गम्भीर चोटों का मैडिकल मुआयना व इलाज करवाने की कृपा करे।"

4. अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा की पुत्री को जबरन अगवा करने की कोशिश की गयी है तथा वादी मुकदमा द्वारा अपनी पुत्री को छुड़ाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपने परिवार सहित वादी मुकदमा के ऊपर लाठी डण्डों से जानलेवा हमले करने की कोशिश की गयी, जिसमें वादी मुकदमा को काफी चोटें आयी तथा वादी मुकदमा की दोनों हाथों की उंगलिया टूट गयी एवं वादी मुकदमा की पुत्री को भी चोंटे आयी हैं। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली–गलौच व जान से मारने की धमकी भी दी गयी है। अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित किया गया है। यदि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है तो वह न्यायालय के क्षेत्राधिकार से फरार हो सकते हैं। अतः अभियोजन द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है।

5. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर दिनांक–10.06.2016 वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके एवं उसकी पुत्री के साथ स्वेच्छया से मारपीट करने, जिसमें वादी मुकदमा के हाथों की उंगलिया टूट जाने एवं वादी मुकदमा के साथा गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बहस किया गया है कि उपरोक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। पत्रावली पर संलग्न मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि सम्बन्धित डाक्टर द्वारा चुटैल को सिम्पल चोट आना तथा एक्स–रे रिपोर्ट में हड्डी से सम्बन्धित कोई चोट न आने का उल्लेख किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। विचारण में अभी समय लग सकता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

7. अतः प्रस्तुत मामले के संपूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों में आवदेकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र बिना गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. प्रार्थीगण/आवेदकगण **श्रीमती निधि राणा पुत्री गुलाब सिंह व श्री कृष्णपाल सिंह निवासी रजनी विहार** की ओर से मुकदमा अपराध सं०–334/2016, अन्तर्गत धारा–323,325,427, 452,506 भा०दं०सं०, 1860 थाना–पिलखुवा, जिला–हापुड़ के प्रकरण में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1280/2026 स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **50,000–50,000/–रूपये** के दो–दो प्रतिभू व समान धनराशि के निजी बंधपत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छोडा जाए–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ हेतु स्वयं उपस्थित रहेंगे।

2. यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायालय में प्रत्येक दिनांक को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे।

3. आवेदकगण/अभियुक्तगण किसी भी आपराधिक कृत्य में संलिप्त नहीं रहेंगे।

4. यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण अपना पता परिवर्तित करते हैं तो वह इसकी लिखित सूचना न्यायालय को देंगे।

5. उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह आवेदकगण/अभियुक्तगण को दी गयी अग्रिम जमानत को निरस्त करने के लिये न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

दिनांक-22.07.2026

(शेष बहादुर निषाद)
अपर सेशन न्यायाधीश, द्वितीय
हापुड़।
आई०डी०–यू०पी० 02663

Digitally signed by Shesh Bahadur Nishad
Date: 2026.07.22 16:26:33 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Hapur.